

FORM No. III

Crim - 1

फर्द अहकाम
(नियम 15)RCMS No 2019/00089

अज अदालत

अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर (राज०)

नत्थीलाल जैसवाल

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी बसेडी

किस्म मुकदमा प्रथम अपील, सूचना का अधिकार
अधिनियम 2005

मुकदमा नम्बर 26 / 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
27-08-2020	<p>अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी वसेडी के पत्र क्रमांक आरटीआई/20/382 दिनांक 25.8.2020 के जरिये रिपोर्ट प्राप्त हुई। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी वसेडी ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी श्री नत्थीलाल जैसवाल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना उपखण्ड अधिकारी वसेडी के पत्र क्रमांक राजस्व/20/261 दिनांक 13.7.2020 के जरिये अपीलान्ट श्री नत्थीलाल जैसवाल को उपलब्ध करा दी गई है जिस पर अपीलान्ट के सूचना प्राप्ति के हस्ताक्षर हो रहे हैं। पत्र की प्रति संलग्न कर पेश की है।</p> <p>इस प्रकार अपीलान्ट को सूचना दस्ती प्राप्त हो चुकी है। अतः प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी वसेडी से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे।</p>	

नरेश कुमार
अतिरिक्त जिला कलक्टर
धौलपुर